"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई 2014—श्रावण 3, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 1/03/2012/एक/14/भापुसे.—श्री अशोक जुनेजा, भा.पु.से. (1989), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं सचिव, गृह विभाग को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त-सह-संचालक, खेल एवं युवा कल्याण का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

श्री अशोक जुनेजा द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, खेल एवं युवा कल्याण का पदभार ग्रहण करने पर श्री जितेन्द्र शुक्ला, रा.प्र.से. (1997), उप सचिव, लोक निर्माण विभाग एवं संचालक, खेल एवं युवा कल्याण केवल संचालक, खेल एवं युवा कल्याण के पदभार से मुक्त होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

नया रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2014

क्रमांक ई-1-21/2003/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित अधिकारी को भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3(1)(2) के परन्तुक के अंतर्गत आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख दर्शित कॉलम में अंकित तिथि से सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (पे बैंड-3, रु. 15600-39100 और ग्रेड पे रु. 7600) में अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान की देय तिथि	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री राजेश सुकुमार टोप्पो (2005)	01-01-2014	कलेक्टर, बलौदाबाजार-भाटापारा.	कलेक्टर, बलौदाबाजार-भाटापारा.

2. भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 11030/36/2008-AIS-II, दिनांक 21-05-2010 में निहित मार्गदर्शन अनुसार कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान देय तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से दिया जा सकता है.

3. उपरोक्त भा.प्र.से. के अधिकारी को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड-Non Functional Grade) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जाता है कि वे भविष्य में मिड कैरियर ट्रेनिंग फेस-III कार्यक्रम में अनिवार्यतः भाग लेंगे.

नया रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2014

क्रमांक ई-1-04-2014/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा :— 1. सुश्री ओमेगा यूनाईस टोप्पो, भा.प्र.से. (2000), अपर आयुक्त, रायपुर संभाग/बस्तर संभाग मुख्यालय रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, वन विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री एल. एस. केन, भा.प्र.से. (2000), संयुक्त सचिव, वन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर आयुक्त, रायपुर संभाग के पद पर पदस्थ करते हुए अपर आयुक्त, दुर्ग संभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

3. श्री रवि प्रकाश गुप्ता, भा.प्र.से. (2007), अपर कलेक्टर, कोरबा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा के पद पर पदस्थ करता है.

4. श्रीमती रानू साहू, भा.प्र.से. (2007), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर कलेक्टर, जशपुर के पद पर पदस्थ करता है.

5. श्री संजीव कुमार झा, भा.प्र.से. (2011), अनुविभागीय अधिकारी, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया के पद पर पदस्थ करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

6. श्री एस. के. पवार, रा.प्र.से. (पी-1998), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा की सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से वापस लेते हुए उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर कलेक्टर, कोरबा के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2014

क्रमांक ई 1-04/2014/एक/2.—राज्य शासन द्वारा श्री पी. सी. पांडे, भा.व.से. (1987) सचिव, कृषि विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त गन्ना आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2014

क्रमांक एफ 7-14/2013/12.—राज्य शासन एतद्द्वारा चीफ कंट्रोलर आफ माईन्स, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के परिपत्र क्रमांक N-11013/3/MP/90/CCOM Vol-VII, Circular No. 2/2010, दिनांक 06-04-2010 के पैरा-02 के बिन्दु क्रमांक-02 के तारतम्य में Differential Global Positioning System (डीजीपीएस) का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण करने के लिए नीचे तालिका के कालम नंबर-02 में दर्शित संस्थान को कालम नंबर-03 में दर्शित खनिज से संबंधित खनिज रियायतों के लिए अधिमान्यता प्रदान करता है :—

तालिका

क्र.	एजेन्सी का नाम एवं पता	अधिमान्यता का विवरण
1.	छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, एम.आई.जी.-25 इन्द्रावती कालोनी, रायपुर-492001 (छत्तीसगढ़)	राज्य में समस्त खनिजों की खनिज रियायतों से संबंधित डीजीपीएस सर्वे कार्य हेतु.
2.	स्टील अथॉरिटी आफ़ इंडिया लिमिटेड, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई-490001, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)	राज्य में स्थित स्वयं की खनिज रियायतों से संबंधित डीजीपीएस सर्वे कार्य हेतु.
3.	भारतीय सर्वेक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ जियों-स्पेशल डाटा सेंटर, सर्वे आफ इंडिया, रीना अपार्टमेंट 3रां फ्लोर, पचपेड़ी नाका, धमतरी रोड, रायपुर-492001 (छत्तीसगढ़)	राज्य में समस्त खनिजों की खनि रियायतों से संबंधित डीजीपीएस सर्वे कार्य हेतु.

2. अधिमान्यता प्राप्त संस्थान के लिये शर्तें :—

1. Coordinats of boundry pillars shall be established in the World Geodetic System 1984 (WGS-84) Datum.
2. Each boundry pillar shall be surved using DGPS, at least 2 Hours observation, for its ground position.
3. The maximum distance between any two successive pillars should not be more than 100 meter.
4. All corner pillar should be of pyramid shaped whith base of 1 meter and height of 2 meter and should be placed 1 mater above the ground and 1 meter below the ground.
5. Distance and bearing to the forward and backward pillars and latitudes and longitudes should be market on all the corner pillars.

3. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों को भी शामिल किया जाना होगा :—

1. उपरोक्त बिन्दु में दर्शित कार्य के लिए खनिज रियायतधारी द्वारा अधिमान्यता प्राप्त संस्थान को भुगतान करना होगा. डीजीपीएस सर्वे कार्य हेतु पारिश्रमिक का निर्धारण अधिमान्यता प्राप्त संस्थान एवं खनिज रियायतधारी के मध्य आपसी समन्वय से किया जाएगा.
2. डीजीपीएस सर्वे के संबंध में भारतीय खान ब्यूरो/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन अधिमान्यता प्राप्त संस्थान को करना होगा.
3. यह अधिमान्यता इस आदेश के जारी होने से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 जून 2014

क्रमांक 1321/एफ 21/04/2014/13/2/ऊ.वि..—छ.रा. विद्युत मण्डल अंतरण योजना नियम 2010 के अनुपालन में छ.रा. विद्युत मण्डल के पुनर्गठन उपरांत गठित पांच विद्युत कंपनियों यथा छ.रा. विद्युत होल्डिंग कंपनी, छ.रा. विद्युत उत्पादन कंपनी, छ.रा. विद्युत पारेषण कंपनी, छ.रा. विद्युत वितरण कंपनी एवं छ.रा. विद्युत ट्रेडिंग कंपनी के मैमोरेण्डम आफ आर्टिकल एण्ड मैमोरेण्डम आफ एसोसिएशन की कंडिका-110 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा प्रबंध निदेशक, निदेशक के वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में मतांकन, अवकाश/प्रवास की स्वीकृति हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी करती है :—

(अ) **विद्युत कंपनियों में एमडी हेतु वार्षिक गोपनीय चरित्रावली के मतांकन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया प्रस्तावित :—**

(i) ऊर्जा विभाग के प्रभारी प्रमुख सचिव/सचिव का पद अध्यक्ष के पद से उच्चतर होने की अवस्था में—

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत	अध्यक्ष, छ.रा. विद्युत कंपनीज
समीक्षा हेतु अधिकृत	ऊर्जा विभाग, छ.ग. शासन के प्रभारी प्रमुख सचिव/सचिव
स्वीकृति हेतु अधिकृत	छ.ग. शासन के भारसाधक मंत्री ऊर्जा

(ii) अध्यक्ष पॉवर कंपनी का पद ऊर्जा विभाग के प्रभारी प्रमुख सचिव/सचिव के पद से उच्चतर होने की अवस्था में—

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत	अध्यक्ष, छ.रा. विद्युत कंपनीज
समीक्षा एवं स्वीकृति हेतु अधिकृत	छ.ग. शासन के भारसाधक मंत्री ऊर्जा

नोट :— उपरोक्त परिस्थिति में ऊर्जा विभाग के प्रभारी प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा एमडी के कार्य दक्षता पर पृथक से मतांकन समीक्षा एवं स्वीकृति हेतु अधिकृत प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा.

(ब) **अवकाश/प्रवास हेतु स्वीकृति का प्रस्ताव :—**

क्र. (1)	विषय संक्षेप में (2)	डीओपी/अधिकृत अथॉरिटी (3)	टीप/स्वीकृति (4)
1.	विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं डब्ल्यूआरपीसी द्वारा राज्य के बाहर आयोजित बैठकों में भाग लेने हेतु प्रवास.	अध्यक्ष, छ.रा. विद्युत कंपनीज	पूर्व सूचना पर
2.	सरल क्र. 1 के अतिरिक्त मंत्रालयों/संस्थाओं द्वारा आयोजित शासकीय बैठकों में भाग लेने हेतु राज्य के बाहर प्रवास.	अध्यक्ष, छ.रा. विद्युत कंपनीज.	पूर्व स्वीकृति उपरांत
3.	सरल क्र. 1 के अतिरिक्त अन्य मंत्रालयों/संस्थाओं द्वारा आयोजित बैठकों में भाग लेने हेतु राज्य के बाहर प्रवास. (अ) 03 दिवस से अधिक नहीं (ब) 03 दिवस से अधिक	अध्यक्ष छ.रा. विद्युत कंपनीज राज्य शासन ऊर्जा विभाग.	दोनों प्रकरणों में पूर्व स्वीकृति उपरांत.
4.	शासकीय प्रयोजन से विदेश प्रवास	राज्य शासन ऊर्जा विभाग	आवेदन अध्यक्ष, छ.रा. विद्युत कंपनीज के माध्यम से.
5.	व्यक्तिगत प्रयोजन से विदेश प्रवास	राज्य शासन ऊर्जा विभाग	आवेदन अध्यक्ष, छ.रा. विद्युत कंपनीज के माध्यम से.

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	आकस्मिक अवकाश	अध्यक्ष, छ.रा. विद्युत कंपनीज	
7.	अर्जित अवकाश	राज्य शासन ऊर्जा विभाग	आवेदन अध्यक्ष, छ.रा. विद्युत कंपनीज के माध्यम से.
8.	शिकायतों पर जांच आदेशित करना	राज्य शासन ऊर्जा विभाग	
9.	अनुशासनात्मक कार्यवाही	राज्य शासन ऊर्जा विभाग	
10.	दण्ड का अधिरोपण	राज्य शासन ऊर्जा विभाग	

यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आनंद बाबू, सचिव.

जल संसाधन विभाग
केपिटल काम्पलेक्स, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 मई 2014

क्रमांक 2040/एफ-1-64/31/एस-2/निर्वाचन/2013.—छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम (क्रमांक 20 सन् 2006) की धारा 48 (1 एवं 2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा सचिव, जल संसाधन विभाग को अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कृत्यों के पालन करने में सक्षम प्राधिकारियों तथा जिला कलेक्टरों पर सामान्य नियंत्रण तथा अधीक्षण रखने के लिए "नियंत्रक अधिकारी" के रूप में नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 जून 2014

क्रमांक 10-13/2014/तक.शि./42.— राज्य शासन तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संचालित "शासकीय पॉलीटेक्निक, जांजगीर-चांपा" का पुनर्नामकरण एतद्द्वारा "स्वर्गीय श्री रामकृष्ण राठौर" शासकीय पॉलीटेक्निक, जांजगीर-चांपा करता है.

No. F 10-13/2014/T.E./42.—The State Government hereby renames "Government Polytechnic, Janjgir-Champa", operating under the Directorate of Technical Education, Chhattisgarh as "Late Shri Ramkrishna Rathore Government Polytechnic, Janjgir-Champa".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 12 फरवरी 2014

क्रमांक/343/अ.भू.अ./प्र.क्र. 02/अ-82/वर्ष 2013-2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	साजा	हरदी, भिभौरी प. ह. नं. 38	0.01	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन अनुभाग क्रमांक 4 दुर्ग.	हरदी भिभौरी जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 24 जून 2014

क्रमांक 431/अविअ/वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-कोटगांव, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.36 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
319	0.01
323	0.03
318	0.23
286/1232	0.06
315	0.06
285	0.01
287	0.04
316/3	0.05
284	0.14
246	0.14
9	0.01
240	0.10
241	0.04
236	0.07
242	0.08
243	0.06
232	0.12
233	0.03
10	0.05

	(1)	(2)
	224	0.10
	218	0.01
	223	0.02
	222	0.08
	221	0.10
	5	0.02
	3	0.10
	12	0.10
	14	0.06
	247/1	0.01
	765/2	0.02
	771	0.04
	769	0.04
	734/2	0.04
	766	0.06
	760	0.01
	761	0.08
	1156	0.01
	762	0.04
	1153	0.01
	1150	0.04
	1151	0.04
	1159	0.16
	1161	0.03
	1160	0.03
	1163	0.04
	1164	0.01
	1162	0.02
	1131	0.03
	1130	0.04
	1129	0.01
	1165	0.05
	1126	0.05
	1073/2	0.08
	1073/3	0.05
	1078/1	0.01
	1128/2	0.01
	15	0.12
	21/1	0.06
	27	0.34
	29	0.06
	32	0.19
	49	0.19
	70	0.02
	65	0.12
	67	0.05
	244/2	0.10
	66/2	0.01
	66/3	0.11
	1/2	0.03
	1/5	0.04
	1/1	0.06
	11/1	0.14
	219/	0.01
	1122	0.01
	1075	0.05
	1077	0.01
	1076	0.02
	1074	0.04
	1019	0.16
	1079	0.10
	1080	0.04
	722/1	0.05
	770/1	0.01
	1125/2	0.06
	1073/4	0.01
	759/3	0.04
	770/2	0.04
	1149	0.05
	734/1	0.04
योग	89	5.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 24 जून 2014

क्रमांक 433/अविअ/वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बालोद

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-खपरी, प.ह.नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.65 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	184	0.06
	183	0.03
	178	0.07
	182	0.13
	45	0.08
	177	0.12
	176	0.08
	164	0.02
	161	0.12
	157/1	0.11
	162	0.11
	160	0.02
	142	0.06
	140	0.05
	42	0.20
	141	0.02
	17	0.08
	15	0.08
	19	0.21
	22	0.08
	3	0.07
	2	0.1
	56/2	0.26
	156/2	0.12
	156/1	0.02
	157/2	0.12
	157/3	0.10
	142/1	0.06
	143/2	0.06
	4/2	0.01
योग	30	2.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 24 जून 2014

क्रमांक 435/अविअ/वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बालोद

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-ढुंडेरा, प.ह.नं. 25

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.50 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
156	0.26
590	0.08
160/1	0.13
160/3	0.14
161	0.11
412	0.12
163/5	0.14
393	0.06
410	0.06
408/2	0.02
408/1	0.06
414	0.24
408/9	0.08
403/2	0.08
403/1	0.11
394	0.06
395/1	0.02
206	0.03
208	0.08
264/1	0.07
262/1	0.05
205	0.11
246/1	0.01
246/3	0.06
246/4	0.01
249/1	0.06

(1)	(2)
163/6	0.06
198	0.07
408/5	0.07
429	0.08
553	0.05
430	0.06
431/1	0.01
438	0.06
573	0.10
437/1	0.14
574	0.06
593	0.06
592	0.06
607	0.01
604/3	0.02
606	0.02
603	0.04
602/3	0.04
262/2	0.10
261	0.16
243/3	0.07
260	0.01
245	0.14
251	0.10
252/1	0.01
246/6	0.04
246/7	0.08
250	0.10
601	0.01
602/4	0.06
611	0.01
528	0.06
525	0.04
509/1	0.06
510	0.04
527	0.04
411	0.11
योग 63	4.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 24 जून 2014

क्रमांक 437/अविअ/वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-रेंहची, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.94 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
319	0.06
320	0.10
317	0.09
324/1	0.01
335	0.07
336/2	0.08
336/4	0.08
462	0.06
336/3	0.08
351	0.13
371	0.02
373	0.07
352	0.01
372	0.08
369	0.10
370	0.05
408	0.12
318/2	0.02
415	0.09
418	0.02
421/1	0.01
428/2	0.16
423	0.01
464	0.01
424	0.05
463	0.01

(1)	(2)
425/2	0.14
460	0.06
337	0.08
413	0.07
योग 30	1.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 24 जून 2014

क्रमांक 439/अविअ/वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प.ह.नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 1.14 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
238	0.01
258/1	0.06
269	0.01
270	0.03
273	0.07
422	0.06
423	0.10
419	0.02
412	0.05
413	0.10
410/3	0.03
411	0.11
410/1	0.03
409	0.06
407/1	0.06
406	0.02
405/1	0.02
405/2	0.06
401	0.02
397	0.08
399	0.03
418	0.03
407/2	0.01
404	0.07
योग 24	1.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 24 जून 2014

क्रमांक 441/अविअ/वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-कांदुल, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.69 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
489	0.12

(1)	(2)
488	0.10
485	0.32
517	0.01
537/2	0.02
532	0.10
533	0.05
638	0.02
636/1	0.01
536	0.12
530	0.06
636/2	0.02
636/3	0.12
639	0.04
636/4	0.01
515	0.14
525	0.07
519/1	0.15
522	0.07
524/4	0.09
524/2	0.05
योग 29	1.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 24 जून 2014

क्रमांक 443/अविअ/वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बालोद

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-कांदुल, प.ह.नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.94 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2028	0.30
2013	0.07
2012/1	0.05
2011	0.03
2009	0.01
2010	0.04
1431	0.04
2008/3	0.03
2008/2	0.03
2003	0.04
2004	0.11
1970	0.01
1977/1	0.05
1976/2	0.05
1972	0.03
1973	0.03
1963	0.08
1964	0.08
1579	0.04
1584	0.04
1585/2	0.08
1520	0.01
1551	0.02
1550	0.01
1523	0.09
1536	0.04
1527	0.01
1531	0.04
1528	0.02
1535	0.05
1534	0.02
996	0.06
982	0.06
981/2	0.01
979	0.03
1339/3	0.02
1339/2	0.04
1339/1	0.05
1345	0.02
1340	0.01
1341	0.07
1342	0.01
1588	0.05
1589	0.05
1592	0.04
1593	0.04

(1)	(2)
1595	0.01
1597	0.03
1596	0.06
980	0.09
1553	0.04
1552	0.05
1350	0.02
1434	0.04
1432	0.07
1449	0.04
1450/1	0.01
1424	0.04
1425	0.17
1423/2	0.03
1423/1	0.03
योग 61	2.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 24 जून 2014

क्रमांक 445/अविअ/वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-कोडेवा, प.ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.14 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
24	0.10
27	0.13
122	0.09
150	0.03
149	0.13
147	0.01
146	0.18
121	0.01
124	0.02
125	0.03
126	0.03
93	0.10
92	0.09
439	0.07
441	0.07
450	0.01
452	0.09
451	0.15
265	0.08
266	0.01
229/2	0.04
423	0.05
460	0.07
457/2	0.08
458/1	0.07
264/3	0.09
264/7	0.01
264/6	0.05
268/8	0.01
422/1	0.02
456/1	0.13
459/5	0.03
459/6	0.01
459/8	0.02
459/4	0.01
459/1	0.01
453	0.04
448	0.04
449	0.04
455/1	0.08
438/1	0.05
26/1	0.12
438/2	0.07
38/1	0.07
447	0.03
123	0.08
262	0.12
459/7	0.01
426/1	0.01

(1)	(2)
426/2	0.04
456/2	0.04
457/1	0.10
459/3	0.02
422/2	0.04
271	0.01
योग 55	3.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 24 जून 2014

क्रमांक 447/अविअ/वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-लासाटोला, प.ह.नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.48 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
695	0.07
696/1	0.11
693	0.16
692	0.14
योग 4	0.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 24 जून 2014

क्रमांक 449/अविअ/वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-परसतराई, प.ह.नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.60 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
985	0.16
984	0.14
990	0.04
989	0.25
939/4	0.12
928	0.11
892	0.06
893	0.10
970	0.16
826	0.09
857	0.08
891	0.07

(1)	(2)
865	0.01
939/3	0.02
971	0.14
972	0.01
975	0.06
963	0.14
926	0.15
927	0.18
974	0.09
940/1	0.10
925	0.06
855	0.03
858	0.01
866	0.16
868	0.04
864/1	0.21
808	0.01
810	0.16
811	0.02
910	0.02
909	0.30
894	0.01
939/1	0.09
503/1	0.04
809/1	0.09
809/2	0.07
योग	3.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 24 जून 2014

क्रमांक 451/अविअ/वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.18 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
253	0.06
252	0.10
251	0.08
246	0.14
198	0.09
197	0.06
44	0.04
45	0.07
175	0.07
196	0.05
195	0.03
194	0.05
166	0.02
176	0.06
177	0.04
193	0.04
174	0.04
168/1	0.05
168/2	0.04
167	0.04
43	0.01
योग 21	1.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 24 जून 2014

क्रमांक 453/अविअ/वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बालोद
(ख) तहसील-गुण्डरदेही
(ग) नगर/ग्राम-बासीन, प.ह.नं. 26
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.08 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	118	0.05
	125	0.06
	121	0.03
	123	0.05
	396	0.01
	397	0.04
	395	0.10
	394	0.06
	400	0.06
	401	0.06
	404/2	0.01
	410	0.04
	412	0.08
	411	0.14
	427	0.08
	430/1	0.04
	430/2	0.04
	443	0.03
	405/1	0.05
	405/2	0.05
योग	20	1.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 24 जून 2014

क्रमांक 455/अविअ/वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बालोद
(ख) तहसील-गुण्डरदेही
(ग) नगर/ग्राम-खुटेरी, प.ह.नं. 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.38 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
127	0.03
64	0.05
93	0.06
126	0.12
125	0.04
124	0.04
113	0.03
114	0.04
112	0.03
106	0.01
107	0.03

—: 6

(1)	(2)
99	0.01
39	0.04
40/3	0.01
40/4	0.04
65/1	0.07
98	0.10
108	0.01
104	0.02
105	0.05
91	0.08
80	0.08
90	0.08
83	0.14
38/2	0.11
123/1	0.01
123/2	0.05
योग 27	1.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र कुमार शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 25 जून 2014

क्रमांक/535/रीडर/न.भू.सी./2013.—संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक F-6-62/2008 सात-3, रायपुर दिनांक 03-09-2009 में दिये गये निर्देशानुसार नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम 1999 की धारा 3 एवं 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिये श्री भरतलाल बंजारे अपर कलेक्टर रायपुर को अधिकृत किया जाता है.

रामसिंह,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, कबीरधाम

कबीरधाम, दिनांक 3 जुलाई 2014

क्रमांक/80/स.अ./स्था.निर्वा./2014.—श्री अशोक साहू पार्षद नगरपालिका परिषद् कवर्धा वार्ड क्र. 01 रामनगर कवर्धा द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र में सूचित किया है कि वे विधान सभा आम निर्वाचन 2014 के निर्वाचन में वे विधायक पद के लिए निर्वाचित हुए हैं, अत: उनका पार्षद पद से त्याग दिनांक 11-6-2014 से स्वीकृत किया जावे. अत: नगरपालिका विधि संहिता की धारा 40 एवं 41 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री अशोक साहू पार्षद वार्ड क्र. 01 रामनगर कवर्धा नगरपालिका परिषद् से त्याग पत्र स्वीकृत किया जाता है.

पी. दयानंद,
कलेक्टर.